प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

(कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय)

5 अक्टूबर, 2024

"हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए यह उपयुक्त है कि कार्यभार संभालने पर हस्ताक्षरित पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित है। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी काम करना चाहते हैं।" - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस आयोजन के दौरान देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹20,000 करोड़ से अधिक की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसमें किसी भी बिचौलिए की भागीदारी नहीं थी। इस 18वीं किस्त जारी होने के साथ, योजना के तहत कुल वितरण ₹3.45 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा, जो देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों की सहायता करते हुए ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

प्रमुख फीचर्स

1. वित्तीय सहायता: ₹6,000 प्रति वर्ष
2. वित्त पोषण: भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण
3. भुगतान: किसानों के बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की प्रष्ठभूमि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत 2 फरवरी, 2019 को की गई जो भारत के कृषि क्षेत्र कोपरिवर्तित करने वाली शक्ति बन गई है। इस योजना के तहत, प्रत्येक

पात्र किसान परिवार को ₹6,000 का वार्षिक लाभ मिलता है, जो हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाती है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे पारदर्शी डीबीटी योजनाओं में से एक बनाती है।

पीएम-किसान के अंतर्गत अवधि वार भुगतान

8,82,45,636

दिसंबर-मार्च 2022-23

9,60,11,385

अप्रैल-जुलाई 2023-24

9,07,98,772

अगस्त-नवंबर 2023-24

11,54,04,183

दिसंबर-मार्च 2023-24

10,30,29,566

अप्रैल-जुलाई 2024-25

पीएम-किसान के प्रमुख आकर्षण:

1. **व्यापक पहुंच और डिजिटल एकीकरण:** पीएम-किसान भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने वाली एक प्रमुख पहल है। नामांकन, लाभार्थी के प्रमाणीकरण और वितरण की एक निर्बाध प्रक्रिया के माध्यम से, योजना लाखों किसानों तक पहुँचती है, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि सहायता सीधे उन लोगों तक जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जवाबदेही और दक्षता के मामले में यह एक गेम-चेंजर रहा है जोभ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश को काफी कम कर देता है।
2. **महत्वपूर्णअंतराल पर वित्तीय सहायता:** फसल चक्रम के साथ जोड़ते हुए ₹2,000 की किस्तों को हर चार महीने में किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इससे किसान फसल के मौसम में सबसे अधिक जरुरत के समय पर, बीज, उर्वरक खरीदने और फसल स्वास्थ्य बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण निवेश करने में सक्षम होते हैं, जिससे उपज को अधिकतम प्राप्त करने में मदद मिलती है।
3. **साहूकारों से राहत:** पीएम-किसान ने किसानों की पारंपरिक साहूकारों पर निर्भरता कम करके सशक्त बनाया है जो अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरें वसूलते थे। समय पर वित्तीय सहायता किसानों को कर्ज के जाल से बचने में मदद करती है, जिससे अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर खेती के तरीके अपनाए जा सकते हैं।
4. **समावेशी और एक समान सहायता:** योजना छोटे और सीमांत किसानों, जिसे अक्सर पारंपरिक वित्तीय सहायता तंत्र से बाहर रखा जाता है, को शामिल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। सबसे कमजोर किसान भी इस सहायता को प्राप्त कर सकें यह सुनिश्चित करते हुए, पीएम-किसान विभिन्न किसान श्रेणियों के बीच आय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औरकृषि क्षेत्र में समावेशी विकास में योगदान देता है।

पीएम-किसान: सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण

यह योजना सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण है क्योंकि राज्य किसानों की पात्रता का पंजीकरण और सत्यापन करते हैं जबकि भारत सरकार योजना के लिए 100% धनराशि प्रदान करती है। योजना की समावेशी प्रकृति इस तथ्य में झलकती है कि हर चार लाभार्थियों में से कम से कम एक महिला किसान है, इसके अलावा योजना के तहत 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी हैं।

पीएम-किसान: समावेशिता को बढ़ावा देना

योजना की समावेशी प्रकृति इस तथ्य में परिलक्षित होती है कि हर चार लाभार्थियों में से कम से कम एक महिला किसान है, इसके अलावा योजना के तहत 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी हैं।

पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को कुशल, पारदर्शी और सभी किसानों

के लिए सुलभ बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को लगातार अपग्रेड किया है। इसका किसान-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ देश भर के प्रत्येक पात्र किसान तक बिचौलियों की भागीदारी के बिना पहुँचे, जिससे सिस्टम में भरोसा और उसका प्रभाव बढ़ता है।

पीएम-किसान के प्रमुख तकनीकी आकर्षण:

1. **कई डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण:** पीएम-किसान पोर्टल को प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया गया है जैसे:

- *आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण),*
- *वित्तीय हस्तांतरण के लिए पीएफएमएस(सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली),*
- *सुरक्षित भुगतान के लिए एनपीसीआई(राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया),*
- *आय सत्यापन के लिए आयकर विभाग।*

ये एकीकरण सुनिश्चित करते हैं कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ सुरक्षित, कुशल और पारदर्शी हैं, किसानों के बैंक खातों में सीधे रियल टाइम लाभ प्रदान करते हैं।

2. **आसान पहुँच और शिकायत निवारण:** किसान अब पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सहायता मांग सकते हैं। अधिक बैयक्तिक के लिए, वे अपने मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं।
3. **किसान ई-मित्र (एआई-संचालित चैटबॉट):** योजना के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार किसान ई-मित्र है, जो एक आवाज-आधारित एआई चैटबॉट है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को प्रश्न पूछने और अपनी मूल भाषा में वास्तविक समय के समाधान प्राप्त करने की अनुमति देता है। वर्तमान में, यह हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, तमिल, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी सहित 11 भाषाओं का समर्थन करता है, जो भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में समावेशिता सुनिश्चित करता है।

4. कॉमन सर्विस सेंटर और आईपीपीबीके जरिए घर के द्वारा तक सेवाएँ: योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, देश भर में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है। ये सीएससीयोजना की सेवाएँ सीधे किसानों के घर तक ले जाते हैं, जिससे उनके लिए पंजीकरण करना, अपने विवरण अपडेट करना या सहायता लेना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पोस्ट भुगतान बैंक (आईपीपीबी) को पीएम-किसान योजना के साथ एकीकृत करने से लाभार्थियों के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाते खोलना

आसान हो जाता है। यह सेवा सुनिश्चित करती है कि दूर-दराज के इलाकों में भी किसान बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकें।

5. **एग्री स्टैक की शुरूआत:** भारत सरकार अब एग्री स्टैक शुरू कर रही है, जो किसानों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक तकनीकी ढाँचा है। एग्री स्टैक के माध्यम से, प्रत्येक किसान को एक अनूठा किसान आईडी मिलेगा, जो उनके आधार से जुड़ा होगा। यह किसान आईडी भूमि और फसल की जानकारी से जुड़ा होगा, जिससे अधिक व्यक्तिगत और सक्रिय गवर्नेंस सुनिश्चित होगा। एग्री स्टैक न केवल पीएम-किसान की डिलीवरी को बढ़ाएगा बल्कि किसानों को विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुँचने के लिए भी दरवाजे खोलेगा। इस डिजिटल प्रणाली से 100% कवरेज और किसानों का संतृप्तिकरणसुनिश्चित होने की उम्मीद है, जो उन्हें कई खेती से संबंधित सेवाओं के लिए एक-स्टॉप समाधान प्रदान करता है।

इन तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ, पीएम-किसान वास्तव में दक्षता का एक मॉडल बन गया है जो किसानों को सशक्त बना रहा है और भारत के कृषि क्षेत्र को स्थिरता और समावेशिता की ओर ले जा रहा है। योजना का आधुनिकीकरण भविष्य के लिए स्मार्ट, डिजिटली सक्षम खेती की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

पीएम-किसान: उपलब्धियाँ और प्रशस्तियां

18वीं किस्त जारी होने के साथ भारत भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत ₹3.45 लाख करोड़ की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है।

पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रगति

- 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ
- 3.45 लाख करोड़ रूपये वितरित

इसमें से ₹1.75 लाख करोड़ को पात्र किसानों को कोविडअवधि के दौरान स्थानांतरित किया गया था, जब उन्हें सीधे नकद लाभ की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसके अलावा, हाल ही मेंगए विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक अंग के रूप में 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संतृप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एककरोड़ से अधिक पात्र किसानों, जिनमें 6 लाख विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) किसान शामिल हैं, को पीएम किसान योजना में जोड़ा गया था।

पिछले पाँच वर्षों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना ने उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं, विश्व बैंक जैसे संगठनों ने इसके दूरदर्शी दृष्टिकोण, विशाल पहुंच और किसानों के खातों में सीधे धनराशि के सुचारू हस्तांतरण के लिए प्रशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों पर ध्यान केंद्रितएक अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश किसानों को पीएम-किसान से बिना किसी लीकेज के लाभ हुआ, पूरी राशि प्राप्त हुई। अध्ययन में यह भी प्रकाश डाला गया है कि जिन्हें ये नकद हस्तांतरण प्राप्त हुए, वे कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि आवश्यकताओं में निवेश करने की अधिक संभावना रखते थे। इस सहायता ने उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संदर्भ:

1. https://pmkisan.gov.in/
2. लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 56, दिनांक- फरवरी 06, 2024
3. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2010184
4. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2023689
5. https://www.manage.gov.in/KrishiSakhi/Login.aspx
6. https://agristack.gov.in/#/
7. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2025877